दिल्ली राजपत्र भाग-II अनुभाग -II में कोर्ट के नोटस की विषय सूची प्रकाशित करवाने के लिए दिशा निर्देश

दिल्ली राजपत्र भाग-II अनुभाग खंड-II में पब्लिक नोटिस के विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है –

1. हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों की मूल प्रति जिसमें विषय सामग्री छापी गयी है ।
2. कम्प्यूटर से हिन्दी तथा अंग्रेजी में टाइप की गई तथा सक्षम प्राधिकारी (प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक) द्वारा रबड़ स्टैम्प/कम्पनी सील के साथ विधिवत सत्यापित की गई मुद्रण सामग्री 2 प्रतियों में ।
3. अंग्रेजी विषयवस्तु के लिए वर्ड फारमेट (विन्डो 2007) में फोंट साईज 10 में एक सी डी तथा हिन्दी विषयवस्तु फोंटसाइज 12 में चाणक्य विवेक तथा कृति देव में होना चाहिए ।
4. पत्र शीर्ष पर एक प्रमाण पत्र जिमें यह दर्शाया गया हो कि हार्ड प्रति तथा सॉफ्ट प्रति में समाविष्ट विषय वस्तु समान है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाएं ।
5. सभी प्रकार से विधिवत पूरे भरे हुए दस्तावेज इस विभाग में उनमें दर्शायी निर्णायक तिथि (सुनवाई की तिथि) से 30 दिन पहले इस विभाग में जमा करायें नहीं तो यह विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।
6. आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित शुल्क इस प्रकार है –
7.

पूरा पृष्ठ (प्रत्येक भाषा)	4200/- रूपये (31-3-2015 तक)
आधा पृष्ठ (प्रत्येक भाषा)	3100/- रूपये (31-3-2015 तक)

8\. आवेदक को संबंधित राजपत्र की एक मुद्रित प्रति की आपूर्ति की जाएगी । अतिरिक्त प्रतियॉ, यदि अपेक्षित है तो 20/- रूपये प्रत्येक की दर से अथवा प्रचलित दरों पर उनकी आपूर्ति की जा सकती है (31-3-2015) ।

9 इस बारे मे मिलने का समय किसी भी कार्यदिवस को प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तथा दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक है |

10\. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदन को संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा ।

11 संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।

12\. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।

प्रकाशन नियंत्रक